



छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय-सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgs wc.cg.gov.in

क्रमांक / 10393 / छगवेका / स्था0(BOD-4) / 2023-24 / नवा रायपुर दिनांक- 29.09.23

--:: आदेश ::--

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। वित्त निर्देश 23/2023 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें घोषित की गई हैं। संचालक मण्डल की 52वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 52.16 में विचारोपरान्त, वित्त निर्देश 23/2023 दिनांक 02.08.2023 को निगम में यथावत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदानुसार निगम में गृह भाड़ा भत्ते की निम्नानुसार लागू नई दरें स्वीकृत की जाती है :-

क्र०	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन पर देय)	
			मंहगाई भत्ता 25% होने पर	मंहगाई भत्ता 50% होने पर
1	'बी-2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	9%	10%
2	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगलदपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, जांजगीर-चांपा	6%	7%
3	अन्य क्षेत्र		6%	7%
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		27%	30%

(1) गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये "मूल वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन से है।

(2) उपरोक्त संशोधित दर दिनांक 02.08.2023 से प्रभावशील होंगी।

प्रबंध संचालक

क्रमांक / 10393 / छगवेका / स्था0(BOD-4) / 2023-24 / नवा रायपुर दिनांक- 29.9.23
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/वै0भ0गु0नि0) नोडल अधिकारी (आई0टी0), कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
5. वेतन शाखा/भविष्य निधि छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
6. समस्त शाखा प्रबंधक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
7. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर को निर्देशित है, कि इस आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक